

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / रीडर / 2022 / 250

दिनांक :- 5.5.2022

मुकदमा नंबर 355ए/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. विनोद बी. खत्री पुत्र बंशीधर जी, जाति खत्री, निवासी पाटोदी तह0 पचपदरा जिला बाडमेर (राज)हाल मिंट स्ट्रीट पाकटाउन चेन्नई ।		1. वेंतन कुमार एम. पुत्र मांगीलाल जाति खत्री निवासी मेन रोड समदडी, तहसील समदडी जिला बाडमेर (राज) 2. भंवरी देवी पत्नी हेमाराम जाति जाट निवासी जाट कालोनी, समदडी रोड, बालोतरा, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर (राज) 3. रेकाराम पुत्र मोडाराम, जाति जाट निवासी बायतु तह. बायतु जिला बाडमेर । 4. तुलछाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी बायतु तह. बायतु जिला बाडमेर 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

आदेश

दिनांक :- 05.05.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पचपदरा पटवारी क्षेत्र पचपदरा भू-निरीक्षक पचपदरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 1057/759, 1060/758 एवं क्षेत्रफल कमशः 03-09, 01-11 बीघा कुल 2 खसरे व क्षेत्रफल 05 बीघा है। विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पथगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



क्रमांक / रीडर / 2022 / 251

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड बालोतरा

दिनांक :- 5/5/22

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड बालोतरा